अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 25/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

अनिल कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री रवीन्द्रनाथ शर्मा निवासी मकान संख्या 355, प्रेम नगर, मालवीय नगर, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

निधि शर्मा पुत्री श्रीमती कुन्ता देवी हाल निवासी मकान संख्या 355, प्रेम नगर, मालवीय नगर, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.05.2024, माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 39/2024 (09/2017) ब उनवानी अनिल कुमार शर्मा बनाम निधि शर्मा व अन्य ।

उपस्थित:–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 16.12.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 39/2024 (09/2017) ब उनवानी अनिल कुमार शर्मा बनाम निधि शर्मा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2024 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी ने वर्ष 2017 में उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष अन्तर्गत धारा 22 व 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत एक परिवाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो 09/2017 अनिल कुमार शर्मा बनाम निधि शर्मा दिनांक 28.03.2018 को स्वीकार कर आदेशित किया गया कि प्रत्यर्थी श्रीमती निधि कौशिक को कोई अधिकार नहीं है एवं उक्त सम्पत्ति को 30 दिवस में खाली करे। अगर 30 दिवस में खाली नहीं करती है तो

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

थाना जवाहर सर्किल को आदेशित किया था कि उक्त सम्पत्ति से प्रत्यर्थी को पुलिस की सहायता से बेदखल किया जावे। इसके पश्चात दिनांक 28.03.2018 को अपीलीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी निधि कौशिक द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में रिट याचिका प्रस्तुत की गई जो एस.बी. सी डब्लू 9559/2018 दिनांक 01.05.2023 को यह आदेश हुआ कि वरिष्ठ नागरिक के बच्चे को भी अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है, इसके पश्चात प्रत्यर्थी द्वारा जिलाधीश के समक्ष दिनांक 01.05.2023 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पुनः एक अपील प्रस्तुत की गई । अपील संख्या 23/2023 अपीलीय अधिकरण द्वारा दिनांक 15.02.2024 को अपील खारिज कर आदेश दिनांक 28.03.2018 को सही ठहराते हुये प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के मकान से बेदखल करने के आदेश को सही बताया। आदेश दिनांक 15.02.2024 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट में दिनांक 28.03.2017 व आदेश दिनांक 15.02.2024 को खारिज कर यह आदेश पारित किया कि परिवाद संख्या 9/2017 को उपखण्ड अधिकारी को रिमाण्ड किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि दोनों पक्षों को पुनः सुन कर आदेश पारित करे। उक्त परिवाद आदेश दिनांक 18.03.2024 द्वारा पुनः लौटाया गया। उपखण्ड अधिकारी के यहां 39/2024 (09/2017) उक्त परिवाद में पुनः सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुना गया एवं आदेश दिनांक 09.05.2024 से परिवाद को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी के मालिकाना हक व स्वामित्व का एक मकान संख्या 355 प्रेम नगर, मालवीय नगर जयपुर में स्थित है। अपीलार्थी बिना किसी सीर साझे के सम्पत्ति का एक मात्र मालिक व अधिकारी है। अपीलार्थी ने अपनी आय से दो मंजिला मकान का निर्माण करवाया है। अपीलार्थी काउन्सिल ऑफ साईन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रीयल रिसर्च की प्रयोगशाला वैज्ञानिक उपकरण संगठन भारत सरकार के उपक्रम में बतौर सीनीयर प्रिंसीपल साईन्टिस्ट के पद से दिनांक 31.01.2013 को सेवा निवृत्त हुए। अपीलार्थी के परिवार में अपीलार्थी की धर्मपत्नि श्रीमती विभा कोशिक व दो पुत्र श्री मनु कौशिक व शान्तनु कौशिक है। अपीलार्थी के अनुज पुत्र श्री शांतनु कौशिक विवाहित है एवं सुखमय विवाहित जीवन यापन कर रहा है। अपीलार्थी का बड़ा पुत्र मनु कौशिक जो कि गुडगांव मे स्थित मारूति कम्पनी में बतौर इंजीनियर नौकरी कर रहा है। अपीलार्थी के बड़े पुत्र मनु कौशिक का विवाह प्रत्यर्थी श्रीमती निधि शर्मा के साथ दिनांक 19.11.2010 को हुआ था एवं दोनों को एक पुत्र और एक पुत्री हुई है। वर्तमान में श्री मनु कौशिक व श्रीमती निधि कोशिक का विवाह विच्छेद दिनांक 02.09.2019 को हो चुका है । अपीलार्थी का पुत्र अपनी धर्मपत्नी निधि शर्मा अर्थात प्रत्यर्थी के साथ गुडगांव में ही रहा था। विवाह के बाद से ही प्रत्यर्थी का व्यवहार अपीलार्थी के पुत्र मनु कौशिक के साथ बेहद क्रुरता पूर्ण रहा, जहां प्रत्यर्थी ने अपने पति को हर प्रकार से शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया, यहां तक की उसके साथ मारपीट भी की, जिसमें प्रत्यर्थी की माता जी व उसकी अविवाहित बड़ी बहन ने भी सहयोग किया । अपीलार्थी के पुत्र के विरूद्व गुडगांव थाने में झूंठे मुकदमें तक दर्ज करवाये गये जो कि झूंठे पाये जाने पर पुलिस द्वारा उक्त मुकदमों में एफ.आर. प्रस्तुत कर दी गई। प्रत्यर्थी अपने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पति से लडाई झगड़ा कर दिनांक 22.10.2014 को अपने पीहर बुलंदशहर बिना किसी सूचना के चली गई और वहां कुछ दिन रहने के पश्चात अचानक ही दिनांक 27.01.2015 को लगभग 3 माह के बाद अपीलार्थी के मकान पर कब्जा करने की बदनियति से आई और यहां आकर काफी रोना धोना किया और कहा कि वह कुछ दिन रह कर चली जायेगी। अपीलार्थी के पुत्र श्री मनु कौशिक के साथ उसकी धर्मपत्नी प्रत्यर्थी का व्यवहार बेहद असहनीय हो गया तो उनके द्वारा अपनी पत्नी प्रत्यर्थी श्रीमती निधि शर्मा के विरूद्व पारिवारिक न्यायालय गुडगांव हरियाणा में हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत क्रुरता के आधार पर विवाह विच्छेद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया और उक्त प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थी को धारा 24 हि॰वि॰अ॰ के अन्तर्गत 12,000/–प्रतिमाह भरण पोषण दिये जाने हेतु पारिवारिक न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पुत्र श्री मनु कौशिक को आदेशित किया गया है। अपीलार्थी का पुत्र मनु कौशिक समय पर उक्त भरण पोषण की राशि प्रत्यर्थी को अदा कर रहा है। अपीलार्थी ने जब प्रत्यर्थी को मकान खाली करने के लिये कहा तो उसने अपीलार्थी व अपीलार्थी की पत्नी के विरूद्व पुलिस में 100 नम्बर पर फोन कर झूंठी शिकायत करना प्रारम्भ कर दिया और पुलिस द्वारा हमेशा उसका पक्ष लिया गया। क्योंकि यह हमेशा पुलिसवालों को यह दर्शाती है कि वह एक महिला है और उसके दो छोटे बच्चे है, उसके सास–ससुर उसे जबरन निकाल देना चाहते है। जबकि प्रत्यर्थी हमेशा उन्हें यह कहती है कि उसे अगर अलग होने की अच्छी कीमत दोगे तो वह छोड़ कर चली जायेगी। उसके कुछ समय बाद से प्रत्यर्थी ने अपनी सभी हदें पार कर दी है। क्योंकि प्रत्यर्थी आये दिन अनजान पुरूषों को घर पर बुलाती है और उनके साथ गाड़ी में बैठ कर चली जाती है और जब अपीलार्थी व उसकी धर्मपत्नी अनजान लोगों को घर में प्रवेश करने पर आपत्ति करते है, तो प्रत्यर्थी उनके साथ गाली गलौच करती है और पूरे मोहल्ले में यह झूंठी अफवाह फैलाती है कि अपीलार्थी व उसकी धर्मपत्नी उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते है और उसकी झूंठी शिकायत थाने पर देती है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की सम्पत्ति के भू तल पर स्थित बाथरूम, रसोई व कमरे पर ताले लगा रखे है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा की जाने वाली हर हरकत मकान में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद होने लगी तो प्रत्यर्थी ने सी.सी.टी.वी. कैमरे तोड़ दिये जिसकी सूचना अपीलार्थी ने जवाहर सर्किल थाने पर दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अपीलार्थी व उसकी धर्मपत्नी को प्रत्यर्थी द्वारा प्रताड़ित करने पर उसके विरूद्व थाने पर प्रस्तुत फोटो प्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 20.07.2015, 24.08.2015, 11.12.2015, 14.12.2015, 04.05.2016, 27.05.2016, 08.06.2016, 20.09.2016 (कमीश्नरेट) 12.12.2016 पेश किये। अपीलार्थी की सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा कर लिया गया और काफी प्रयासों के बाद भी सम्पत्ति को खाली नहीं किया, तो अपीलार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में सम्पत्ति को खाली करवा कर कब्जा दिलवाया जाने का वाद भी प्रस्तुत किया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 15453/2016 श्रीमती रश्मी सक्सेना बनाम सुरेश प्रकाश सक्सेना में प्रतिपादित किया गया सिद्वान्त की पुत्रवधु का अपने ससुर की मालिकाना हक व अधिकार की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है और कोई पुत्रवधु इस प्रकार से ससुर की सम्पति पर नाजायज कब्जा बनाये रखती है तो उक्त वरिष्ठ नागरिकों के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त किया जा सकता है। इस कारण से अपीलार्थी ने उक्त वाद को न्यायालय से वापस ले लिया था और उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी के स्वयं के अर्जित मकान से प्रत्यर्थी को बेदखल करने के लिए अधिनियम 2007 के अन्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल द्वारा पारित निर्णय की पालना में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी द्वारा बेदखली के दावे को प्रत्यर्थी के विरूद्ध स्वयं द्वारा वापस लिया था ना कि वाद खारिज हुआ था ताकि अधिनियम 2007 के अन्तर्गत सक्षम अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में यह माना है कि किसी भी महिला का अपने सास–ससुर की सम्पत्ति पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा यह अभिलेख किया गया कि अपीलार्थी का मकान एक संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है जो कि गलत है एवं साथ ही यह भी अभिलेख किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा मकान के निर्माण में दो लाख पचास हजार रूपये दिये गये है जो कि गलत व झूंठ है। यहां यह अवलोकित करना अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्यर्थी द्वारा इस तथ्य को साबित करने हेतु कोई भी साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किया है। यहां यह भी अवलोकित करना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी द्वारा जिस राशि का उल्लेख किया गया है, उक्त राशि प्रत्यर्थी को उसकी शादी में उसकी माँ द्वारा एफ॰डी॰ के रूप में जरूर दी गई परन्तु यह एफ॰डी॰ प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं से तुडवाई गई थी और खास तौर पर बुलन्दशहर की बैंक ऑफ बडौदा की शाखा में दिनांक 04.02.2011 को उक्त एफ॰डी॰ राशि 2,51,0000/–रूपये है ना की 2,50,000/–रूपये जिसकी रसीद भी अपील संख्या 23/2023 में अपील के जबाब के अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष झूंठे तथ्य प्रस्तुत किये है एवं अधिकरण को गुमराह करने की कोशिश की है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष उभय पक्ष द्वारा दस्तावेज पेश किये गये थे, परन्तु अधिकरण ने आदेश करने में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को नजर अन्दाज कर आदेश पारित किया है जो न्याय के सुस्थापित सिद्वान्तों के विरूद्व है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी की सम्पत्ति को संयुक्त हिन्दू परिवार की बताना गलत है । अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज पेश किए गए जिससे यह स्पष्ट होता है के उक्त सम्पत्ति अपीलार्थी स्व अर्जित सम्पत्ति है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय पेश किए जिससे यह स्थापित होता है कि उपखण्ड अधिकारी बेदखली के आदेश करने के लिए सक्षम है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भरण पोषण के मामलो के लिए एक रेफरेन्स का गठन किया गया था। डी॰बी॰ सिविल रेफरेन्स 3/2020 ओमप्रकाश सैनी एण्ड अदर्स बनाम श्रीमती मनभर देवी व अन्य अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इस आदेश का भी अवलोकन नहीं किया गया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2024 में अनेक उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लेख किया गया था। यह सभी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा द्वारा पारित किये गये है। पंजाब या हरियाणा सरकार द्वारा लागू अधिनियम 2007 पंजाब व हरियाणा में ही लागू होता है राजस्थान में लागू नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा एवं अधिनियम 2007 में यह कहीं नहीं लिखा है कि

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

पुत्रवधु के विरूद्ध परिवाद नहीं लाया जा सकता है बल्कि 2018(4) RCR (C)693 दर्शाना बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली में यह निर्णय पारित किया गया एवं यह ठहराया गया कि सास–ससुर, बहू से अपना घर जिस बहु का कब्जा हो रखा हो उसे खाली करवा सकते है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अभिलेखित निर्णयों को स्वयं माननीय उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर पूर्ववर्ती स्थापित की 2017 AIR (PUNJAB) 213 अमरचन्द शर्मा एवं अन्य बनाम दी प्रिसिडिंग ऑफिसर एवं अन्य में यह स्थापित किया, कि बहु के विरूद्ध मकान खाली करने का दावा डिस्ट्रीक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना चाहिये इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी ने उक्त आलौच्य आदेश पारित किया इससे यह स्पष्ट होता है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा ना अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णयों का उल्लेख किया और ना ही उनको अपने अपेक्षित आदेश में शुमार किया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपने आक्षेपित आदेश एस विनिता बनाम डिप्टी कमीश्नर बैंगलूर अरबन डिस्ट्रिक (2021) 15 एस सी सी 730 का उल्लेख किया उसमें भी अधीनस्थ अधिकरण ने ध्यान नहीं दिया कि उक्त मामले में भी पुत्रवधु को घर से बेदखल करने बाबत पेश किया था एवं आक्षेपित आदेश में यह कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह तय किया गया कि समरी पावर के आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता और ना ही जबरदस्ती बेदखल किया जा सकता है । क्योंकि उसके द्वारा परिसर में कोई राईट, टाईटल और इंटरेस्ट वेस्ट नहीं किया है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपने आक्षेपित आदेश में बिना कोई आधार दिए आदेश पारित किया है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्लीडिंग का अवलोकन भी नहीं किया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है। दिनांक 01.05.2024 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ न्यायाधिपति श्री अवनीश झिंगन एवं न्यायाधिपति श्री भवन गोयल द्वारा डी बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 12510/2017 मैसर्स इम्पैक्स बनाम कमीश्नर कामर्शियल टैक्स डिपार्टमेन्ट जयपुर एण्ड अन्य में कहा गया है कि न्यायिक/अर्द्व न्यायिक अधिकारियों द्वारा अतर्कित एवं अनुचित आदेश प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुरेश शर्मा एण्ड अदर्स बनाम धनवन्ती शर्मा एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 6089 ऑफ 2019 रिपोर्टेड 2022 एससीसी ऑन लाईन राज 672 ऐसे ही मिलते जुलते तथ्यों के मामले में यह ठहराया है। अपीलार्थी एवं उसकी पत्नी जो वरिष्ठ नागरिक है, वह अपनी पुत्रवधु द्वारा प्रताड़ित किये जा रहे है। आये दिन लडाई झगड़े, गाली गलोच एवं प्रत्यथी द्वारा अपीलार्थी के घर में अन्जान व्यक्तियों के आने जाने से अपीलार्थी एवं अपीलार्थी की पत्नी बड़े विचलित हो जाते है एवं उनकी सुरक्षा को खतरा रहता है। अतः आदेश दिनांक 09.05.2024 को अपास्त कर प्रत्यर्थी को उक्त मकान से बेदखल किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रत्यर्थिया ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अधिनियम 2007 के तहत प्रत्यर्थी व उसके दो नाबालिग बच्चे क्रमशः पुत्र पदमनाभ उम्र 13 वर्ष और पुत्री आराध्या उम्र 11 वर्ष को जबरन अपने पुत्र मनु कौशिक एवं पत्नी विभा कौशिक के साथ मिल कर एक षडयंत्र के तहत प्लाट नम्बर 355 प्रेम नगर मालवीय नगर जयपुर से निष्कासित करने के उद्वेश्य से प्रस्तुत किया है। अपीलार्थी ने षडयंत्र के तहत अधीनस्थ

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधिकरण के यहां नियत तारीख पेशी दिनांक 26.04.2018 से पूर्व ही बिना प्रत्यर्थी को सुने बिना ही दिनांक 28.03.2018 को अपने पक्ष में निर्णित करा लिया, जिसकी अपील अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई जो खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्व रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो स्वीकार की गई एवं अपीलीय अधिकरण को सुनवाई हेतु निर्देशित किया। अपीलीय अधिकरण द्वारा उभय पक्ष को सुन कर अपीलार्थी की अपील संख्या 23/2023 आदेश दिनांक 15.02.2024 को खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्व प्रत्यर्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3585/2024 दायर की गई। जिसमें अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 28.03.2018 एवं अपीलीय अधिकरण के आदेश दिनांक 15.02.2024 को निरस्त कर अधीनस्थ अधिकरण को पुनःसुनवाई हेतु दिनांक 18.03.2024 को निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 09.05.2024 को कानूनी प्रावधानों की विवेचना करते हुए एवं अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद का हवाला देते हुए एवं अपीलार्थी की पत्नी विभा कौशिक द्वारा प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत परिवाद संख्या 126/2015 जो वर्तमान में मान्य न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 7 जयपुर द्वितीय में विचाराधीन है। जिसमें भी अपीलार्थी की पत्नी विभा कौशिक द्वारा भी प्रत्यर्थी को प्लाट नम्बर 335 प्रेम नगर, मालवीय नगर जयपुर से बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। इस प्रकार सिविल न्यायालय में वाद के लम्बित अपीलार्थी का वाद कानूनन चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ अधिकरण ने यह भी माना कि प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 22 के तहत पुत्रवधु के विरूद्व प्रस्तुत परिवाद पोषणीय नहीं है क्योंकि पुत्रवधु का पति जीवित है। पुत्रवधु विधिक वारिसान की परिभाषा में धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के वारिसान की परिभाषा में नहीं आती है। इसलिए धारा 22 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी के पति मनु कौशिक ने गलत पते पर तलाक का नुकदमा गुंडगांव में डाल दिया जिसकी काफी समय बाद जानकारी हुई एवं तलाक की डिक्री प्राप्त कर ली जिसकी अपील खारिज हुई। जिसके विरूद्व माननीय उच्चतम न्यायालय में एस॰एल॰पी॰ नम्बर 26348/2024 दायर की गई है। एस॰एल॰पी॰ की सुनवाई दिनांक 11.11.2024 को हुई तो वहां पर मनु कौशिक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, उन्होंने जाहिर किया कि मनु कौशिक ने पुनर्विवाह कर लिया है। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तरिम अनुतोष नहीं दिया एवं मनु कौशिक को काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया तथा दो सप्ताह में रिजोइण्डर फाईल करने का समय प्रत्यर्थी को दिया गया। आज दिनांक तक कोई शपथ पत्र मनु कौशिक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। तलाक का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है और सब-ज्यूडिस है, ऐसी स्थिति में तलाक हो चुकने का तथ्य अभी अन्तिम नही हुआ है और एलीमनी भी तय नहीं हुई है। बिना एलीमनी तय हुये प्रत्यर्थी को उक्त मकान से निकालने का अपीलार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं है। ग्राउण्ड फ्लोर पर प्रत्यर्थी अपने दोनों नाबालिग बच्चों के साथ रहती है तथा दोनों बच्चे केम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मानसरोवर में पढ रहे है तथा पारिवारिक न्यायालय गुडगांव द्वारा बच्चों की फीस अदा करने का आदेश मनु कौशिक को दिया गया, परन्तु मनु कौशिक बच्चों की फीस अदा नही कर रहा है ना ही पारिवारिक न्यायालय के आदेशानुसार 35,000/–रूपये माहवार प्रत्यर्थी को अदा कर रहा है। प्रत्यर्थी एक सामाजिक महिला है तथा उसका आचरण पूर्णतया सही रहा है तथा अड़ौस पड़ोस एवं समस्त मोहल्ले वाले इस बात के गवाह है कि प्रत्यर्थी सामाजिक एवं सज्जन महिला है एवं अपने दोनों नाबालिग बच्चों को उक्त मकान में रहकर पाल रही है, अच्छी शिक्षा दे रही है तथा अपने ससुर–सास अर्थात अपीलार्थी अनिल कुमार शर्मा एवं विमा कौशिक का बहुत सम्मान करती है एवं पूरा आदर सत्कार करती है। कोई गाली गलौच व मारपीट आदि नहीं करती है तथा इस बाबत उक्त मोहल्ले के निवासियान के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। जिनका खण्डन अपीलार्थी द्वारा नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का परिवाद पूर्णतया गलत तथ्यों के आधार पर दुर्भावनावश एक षडयंत्र के तहत पेश किया गया है। जो कि सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है वे प्रकरण में लागू नहीं होते है । क्योंकि वे प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2021 में DNJ(SC) 168 S.Vanitha V/s Dy. Commissioner Bangalore Urban District में स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि समरी पावर के आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता ना ही जबरदस्ती बेदखल किया जा सकता है । क्योंकि उसके परिसर में कोई राईट, टाईटल इन्ट्रेस्ट वेस्ट नहीं किया गया। इसलिए प्रत्यर्थी को उक्त आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी के विरूद्व धारा 22 के तहत प्रस्तुत परिवाद पोषणीय नहीं है अर्थात पुत्रवधु के ऊपर उक्त कानूनी प्रावधान लागू नहीं होते है और इस आधार पर उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है । क्योंकि वह प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की कानूनी वारिसान की परिभाषा में नहीं आती है जिसके बाबत निम्न न्यायिक दृष्टान्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। रामस्वरूप वालिया बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (पंजाब एण्ड हरियाणा) पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट श्री राकेश कुमार जैन JCWP No.23784/2017 दिनांक 13.10.2017, CPW No. 22162/2018 दिनांक 17.09.2018 आत्मा सिंह सामरा बनाम जिला मजिस्ट्रेट जालन्धर व अन्य एवं 2016 (1) सिविल कोर्ट केस 842 (पी&एच) बलबीर कौर बनाम प्रिसाईडिंग आफिसर एस डी एम ऑफ दी मेन्टीनेन्श एण्ड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल। उक्त न्यायिक दृष्टान्त से स्पष्ट है कि पुत्रवधु जो कि धारा 2 ए व 2 बी के तहत बच्चे व रिश्तेदार की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आने के कारण धारा 22 का प्रार्थना पत्र पुत्रवधु के विरूद्व पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। इसके लिए अपीलार्थी सिविल वाद के द्वारा ही प्रत्यर्थी को बेदखल करा सकता है अन्यथा नहीं। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा न्यायिक दृष्टान्त श्रीमती पुष्पा देवी बनाम श्रीमती मन्जू वैष्णव आदेश दिनांक 24.11.2015 में यह गाना है कि पुत्रवधु जो कि एक कमरे में अपने अवयस्क बच्चों के साथ रिहायश कर रही है तथा उसके विरूद्व दुर्भावनापूर्वक प्रस्तुत परिवाद के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता तथा इस अधिनिमय के तहत कवर्ड भी नहीं होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने अपने छोटे भाई देवेश शर्मा का

जिला मजिस्ट्रेट

तलाक भी इसी प्रकार से कराया था जैसे प्रत्यर्थी से अपने पुत्र का कराया है। इस प्रकार अपीलार्थी कानूनी प्रकिया का दुरूपयोग करना बखूबी जानता है। इसलिए कुत्सित उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रत्यर्थी को जरबन बेदखल करने के लिए यह परिवाद प्रस्तुत किया है जो कि कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। विभा कौशिक द्वारा जो घरेलू हिंसा का परिवाद दायर किया गया था एवं जिसमें एक पक्षीय आदेश प्रत्यर्थी के विरूद्व प्राप्त किया था उस एक पक्षीय आदेश के आधार पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अवमानना प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश क्रम–7 जयपुर महानगर द्वितीय में प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की अवमानना ना मान कर विभा कौशिक का अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया। अपीलार्थी ने षडयंत्र पूर्वक प्रत्यर्थी को उक्त आवास से बेदखल कराना चाहता है, किन्तु यह जरा भी नही सोचा की उसके पौत्र पदमनाथ आयु 13 वर्ष एवं पौत्री आराध्या उम्र 11 वर्ष की पढाई एवं परवरिश का क्या होगा ? अतः अपील अपीलार्थी की खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 22 व 23 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी पुत्रवधु जिसके दो अवयस्क बच्चे है, को अपने स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर 355 प्रेम नगर, मालवीय नगर जयपुर से बेदखल करने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ अधिकरण द्वारा दिनांक 28.03.2018 को स्वीकार किया गया था, जिसे अपीलीय अधिकरण द्वारा भी आदेश दिनांक 15.02.2024 से यथावत रखा गया था। जिसके विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस॰बी॰ सिविल रिट पीटीशन नम्बर 3585/2024 पेश किये जाने पर आदेश दिनांक 18.03.2024 से अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 28.03.2018 एवं अपीलीय अधिकरण के आदेश दिनांक 15.02.2014 को निरस्त कर नये सिरे से गुणदोष के आधार पर तय करने के निर्देश दिये गये है। उभय पक्ष को सुनने एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आये है कि प्रथम, अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती विभा शर्मा द्वारा एक परिवाद अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मान्य सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी निधि कौशिक को किसी प्रकार बत्तमीजी नहीं करने हेतु पाबन्द करने व उक्त परिसर से प्रत्यर्थी को हटाने का अनुतोष चाहा गया है, जो वर्तमान में लम्बित है, उसके लम्बित रहते हुये ही अपीलार्थी द्वारा अपनी पुत्रवधु निधि शर्मा के विरूद्व यही अनुतोष अधीनस्थ अधिकरण व इस अधिकरण से चाहा गया है। जबकि एक ही अनुतोष चाहने के लिये पृथक–पृथक न्यायालय में परिवाद दायर किया जाना उचित नहीं है। द्वितीय, अपीलार्थी के पुत्र मनु कौशिक एवं उसकी पत्नी प्रत्यर्थी निधि कौशिक जो अपीलार्थी की पुत्रवधु है, के मध्य तलाक का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। तृतीय, प्रत्यर्थी निधि कौशिक व उसके नाबालिग बच्चे संतान की परिभाषा में नहीं आते है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) इस

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

प्रकार है– (A) Children Inculdes son, daughter, grandson and grand-daughter but dose not include a minor ; अर्थात इस अधिनियम के तहत वयस्क पुत्र, पुत्री, पौत्र व पौत्री के विरूद्व ही परिवाद लाया जा सकता है। अपीलार्थी ने अपने वयस्क पुत्र मनु कौशिक से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है। केवल पुत्रवधु एव अवयस्क पौत्र पदमनाभ आयु 13 वर्ष व पौत्री आराध्या आयु 11 वर्ष को अपने मकान से बेदखल कराने का अनुतोष चाहा है जो माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत पोषणीय नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी की ओर जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये है वह इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2024 की पुष्टि की जाती है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

आदेश आज दिनाक 16.12.2024 को सरे इजालास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर